

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/अलेसे-1/1990-111/324/

दिनांक :- 23/4/21

संशोधन आदेश

विभागीय आदेश संख्या 591/2019-20 दिनांक 17.12.2020 द्वारा श्री हिमांशु, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को, पूर्व में आदेश क्रमांक 76/2009-10 दिनांक 26.08.2009 के द्वारा द्वितीय आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) दिनांक 11.02.2009 से स्वीकृत की गई थी, को वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन संख्या एफ14(88)एफडी (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 के बिन्दू संख्या 11 के अनुसार पूर्व में दिए गये दण्ड का प्रभाव आगामी एसीपी में प्रभावी होने के कारण दिनांक 11.02.2009 के स्थान पर 11.02.2010 से स्वीकृत की गई थी तथा इसी आधार पर दण्ड का पारिणामिक प्रभाव तृतीय एसीपी पर देय होने के कारण विभागीय आदेश संख्या 41/2020-21 दिनांक 06.05.2020 के द्वारा में L-11 में दिनांक 11.02.2019 से स्वीकृत की गई थी।

वित्त (नियम) विभाग से समान प्रकरण में प्राप्त मार्गदर्शन आई.डी. संख्या 252001111 दिनांक 30.12.2020 द्वारा प्रथम चयनित वेतनमान में दिए गए दण्ड का पारिणामिक प्रभाव द्वितीय एसीपी में नहीं होने के कारण श्री हिमांशु को स्वीकृत उक्त द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः दिनांक 11.02.2010 के स्थान पर 11.02.2009 (द्वितीय एसीपी) एवं 11.02.2019 के स्थान पर 11.02.2018 (तृतीय एसीपी) स्वीकृत की जाती है। अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/अलेसे-1/1990-111/324/

दिनांक :- 23/4/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक, निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्री हिमांशु, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 द्वारा कार्यालय निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)